


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/601 /

जबलपुर, दिनांक 17/02/2021

श्री शंकर थापा आत्मज श्री लाल बहादुर थापा द्वारा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/2319 जबलपुर, दिनांक 23.09.2020 के पालन में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाता है।



(राजेन्द्र कुमार वाणी)


रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्र C/602 /

जबलपुर, दिनांक 17/02/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर नवीन उच्च न्यायालय भवन सिटी सेंटर ग्वालियर म.प्र. की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 331/स्था. ग्वालियर, दिनांक 25.01.2021 के तारतम्य में,
  2. रजिस्ट्रार प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  3. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
  4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर,
  5. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  7. श्री शंकर थापा आत्मज श्री लाल बहादुर थापा, 48, प्रियदर्शनी कॉलोनी, महंगवा, जबलपुर(म.प्र.)-482001,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(प्रियदर्शनी शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)